


25

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सहायक महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०



रानी/रीवा/भू.रा/2018/1921

1- राजेन्द्र पाल तनय श्री बड़ी पाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम तेलियाबूड़
पेशा कृषि व मजदूरी, तहसील हनुमना, जिलारीवा म०प्र०,

:--- निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- श्री रामनारायण पटेल तनय श्री रामबिंशाल पटेल
- 2- श्रीमती जयामबाई पति श्री रामनारायण पटेल,
दोनों निवासी ग्राम देवरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०,
- 3- म०प्र० शासन

[Signature]
20.3.18
13.4.18

4- यशशरण पाल तनय छोटेलाल, निवासी ग्राम तेलिया बूड़, तहसील हनुमना
जिला रीवा म०प्र० -

:--- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर
मउमंज, जिलारीवा म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्र०
19/मूल/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक
30.11.2017, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व
संहिता 1959ई . 1

[Signature]
20/03/18



मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

- 1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला रीवा निवासी के न्यायालय में आवेदकगणों ने आराजी नं० 100/1 जो स्थित ग्राम तेलियाबूड़, तह. हनुमना, पटवारी हल्का देवरा, जिला रीवा म०प्र० के अन्तर्गत स्थिति भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1921

राजेन्द्र विरूद्ध रामनारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/मूल/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p>	<p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>